राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–1497/2016/भीलवाड़ा

मैसर्स वेवरिट ग्लोबल लिमिटेड,
5 खारी का लाम्बा, गुलाबपुरा,
जिला भीलवाड़ा। .....अपीलार्थी

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट–द्वितीय, प्रतिकरापवंचन, भीलवाड़ा। .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री मदनलाल मालवीय – सदस्य

उपस्थित : :

श्री ओ.पी.दौसाया,
अभिभाषक। .....अपीलार्थी की ओर से

श्री आर.के.अजमेरा,
उप–राजकीय अभिभाषक। .....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 15.03.2018

निर्णय

1. अपीलकर्ता द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, भीलवाड़ा (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 97/वैट/15–16 में पारित निर्णय दिनांक 17.03.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–द्वितीय, प्रतिकरापवंचन, भीलवाड़ा (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.10.2015 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 76(6) के तहत् आरोपित शास्ति राशि रूपये 46,474/– को यथावत् रखा है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 08.10.2015 को ट्रांसपोर्ट चैकिंग के दौरान मैसर्स वन ट्रेवल्स, भीलवाडा के गोदाम की जांच की गई। कर निर्धारण अधिकारी ने जांच के दौरान पाया कि गोदाम में 27 कार्ट्न प्लास्टिक ट्यूब अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा बिल एवं बिल्टी के माध्यम से आयात किये गये है, परन्तु उक्त माल अधिसूचित श्रेणी का होने के कारण उसके साथ वैट–47 का होना आवश्यक था, जो कि माल के साथ संलग्न नहीं होने के कारण कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया, नोटिस की पालना में अपीलार्थी व्यवहारी के अधिकृत प्रतिनिधि ने उपस्थित होकर लिखित जवाब के साथ मैन्युअली वैट–47 एवं इलेक्ट्रॉनिकली वैट–47ए प्रस्तुत किया। अपीलार्थी व्यवहारी के जवाब से असंतुष्ट होकर कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी पर अधिनियम की धारा 76(6) के तहत् शास्ति राशि रूपये 46,474/– का आरोपण कर दिया। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने पर उन्होंने प्रस्तुत अपील अस्वीकार कर दिया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर

लगातार.....2

अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र इलेक्ट्रॉनिकली वैट–47ए जनरेट करने की गई, परन्तु जनरेट नहीं होने के कारण उनके द्वारा मैन्युअली वैट–47 विक्रेता पार्टी को एडवांस में भेज दिया गया था, जो भूलवश ट्रांसपोर्ट कम्पनी वाले परिवहनित माल के साथ लाना भूल गये। तत्पश्चात् अपीलार्थी व्यवहारी ने कर निर्धारण अधिकारी के कारण बताओ नोटिस की पालना में विक्रेता व्यापारी से मंगवाकर मैन्युअल वैट–47, एवं ऑनलाईन वैट–47ए प्रस्तुत कर दिया, जो कि **माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय डी.पी.मेटल बनाम राजस्थान सरकार 124 एसटीसी 611** के अनुसार स्वीकार योग्य था, परन्तु कर निर्धारण अधिकारी ने अविधिक रूप से कर निर्धारण आदेश पारित करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी पर शास्ति का आरोपण कर दिया, जो अनुचित है। उपर्युक्त आधार पर अपीलार्थी व्यवहारी ने अपीलीय अधिकारी एवं सशक्त अधिकारी के आदेशों को निरस्त कर प्रस्तुत अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

6. प्रत्यर्थी–विभाग के विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी एवं सशक्त अधिकारी द्वारा पारित के आदेशों का समर्थन करते हुए कथन किया कि वक्त जांच अपीलार्थी व्यवहारी के पास प्लास्टिक ट्यूब माल से संबंधित वैट–47/वैट–47ए का होना आज्ञापक एवं अनिवार्य था, परन्तु अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा करापवंचन की नियत से बिना वैट–47ए के ही माल का परिवहन किया गया था। अतः उन्होंने अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

7. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया, प्रस्तुत रिकार्ड का अध्ययन किया गया। रेकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्लास्टिक ट्यूब का परिवहन किया गया था, उक्त माल अधिसूचित श्रेणी का होने के कारण उक्त माल के साथ राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 01.07.2015 के अनुसार ऑनलाईन भरा हुआ वैट–47ए फॉर्म का होना आवश्यक था। व्यवहारी के अधिकृत प्रतिनिधि ने बहस करते हुए कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के कारण बताओ नोटिस के साथ ऑनलाईन भरा हुआ वैट–47ए एवं मैन्युअल भरा वैट–47 प्रस्तुत करते हुए **माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय डी.पी.मेटल बनाम राजस्थान सरकार 124 एसटीसी 611** का उद्धरण प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार कारण बताओ नोटिस की पालना में वैट–47 प्रस्तुत कर दिये जाने पर शास्ति का आरोपण नहीं किया जा सकता।

8. हस्तगत प्रकरण में विवाद का मुख्य बिन्दु यह है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा दिया गया वैट–47/वैट–47ए स्वीकार किया जाना चाहिए अथवा नहीं? इस बाबत् वैट–47 के मैन्युअल प्रस्तुत किये जाने के संदर्भ में राज्य सरकार ने मैन्युअली वैट–47 प्रस्तुत करने को

लगातार.....3

संशोधित करते हुए इलेक्ट्रॉनिकली वैट–47ए प्रस्तुत किये जाने बाबत् अधिसूचना जारी की। अतः अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा मैन्युअली रूप से दिया गया वैट–47 अस्वीकार करने में कोई त्रुटि नहीं की है। इसी प्रकार कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के माल की जांच दिनांक 08.10.2015 को प्रातः की गई थी, परन्तु उनके द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया वैट–47ए दिनांक 08.10.2015 को 12:45 PM पर जनरेट किया हुआ था। इस प्रकार अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उद्धरित **माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय डी.पी.मेटल बनाम राजस्थान सरकार 124 एसटीसी 611** इस प्रकरण पर लागू नहीं होता है, क्योंकि अपीलार्थी व्यवहारी ने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा की गई जांच के पश्चात् का जनरेट किया हुआ वैट–47ए प्रस्तुत किया, जो कि अपीलार्थी व्यवहारी की पश्चात्वर्ती सोच को दर्शाता है। यह रेकॉर्ड से प्रमाणित है कि इस इलेक्ट्रॉनिकली वैट–47ए को भूल से पीछे भी नही छोडा गया है। व्यवसायी द्वारा जवाब के साथ प्रस्तुत वैट–47ए नोटिस जारी करने के बाद जनरेट किया गया है। अतः कर निर्धारण अधिकारी ने इसे अस्वीकार करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है।

9. फलतः अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य